

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 9544/R/4132
/2016/38-1,
प्रति,

रायपुर, दिनांक 02/12/2016

समस्त कलेक्टर्स,
जिला

छत्तीसगढ़

विषय :- शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के गठन बाबत ।

विषयांतर्गत विधान सभा में उद्भूत प्रश्न के माध्यम से राज्य शासन के ध्यान में आया है कि प्रदेश के कई शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन अभी तक नहीं हो पाया है । कुछ महाविद्यालयों में पूर्व से गठित जनभागीदारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है एवं कुछ महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन ही नहीं हुआ है । मान० विभागीय मंत्रीजी के द्वारा दिनांक 22.11.2016 को आयोजित अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक में सभी शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन अनिवार्य रूप से शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये हैं ।

2/ प्रचलित नियमों के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति का गठन जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाता है एवं इस हेतु मान० प्रभारी मंत्रीजी के अनुमोदन से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । महाविद्यालय के विकास के लिये जनभागीदारी समिति का विशेष महत्व है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समितियों के गठन के संबंध में तत्काल समीक्षा कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें । अपने जिले से संबंधित अद्यतन जानकारी भी मुझे अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से भेजने का कष्ट करें ।

(डॉ०बी०एल०अग्रवाल)

प्रमुख सचिव

छ०ग० शासन

उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 02/12/2016

पृष्ठां० क्रमांक 9545/R/4132
/2016/38-1,
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. संभागायुक्त, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग को सूचनार्थ एवं मॉनीटरिंग करने हेतु ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
5. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ,
6. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख सचिव

छ०ग० शासन

उच्च शिक्षा विभाग